



उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
19सी, तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001
दूरभाष/फैक्स: 0522-2235752 फैक्स- 0522-2235806
Web-www.uppbpb.gov.in

सूचना / विज्ञप्ति

रैंकर उप निरीक्षक नागरिक पुलिस विभागीय परीक्षा-2011 रिक्तियों के सापेक्ष लिखित परीक्षा में असफल तथा अचयनित अभ्यर्थियों के अंकों का प्रकाशन


संख्या:पीआरपीबी-अनु0-6-प-1/2015

दिनांक: जून 19, 2019

रैंकर उप निरीक्षक नागरिक पुलिस की भर्ती/चयन वर्ष 1999 से 2008तक 5389 रिक्तियों हेतु विभागीय परीक्षा के माध्यम से चयन के लिए पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा 5389 रिक्तियों का अधियाचन इस बोर्ड को उपलब्ध कराया गया था । उक्त अधियाचन के क्रम में बोर्ड दिनांक:12-06-2010 को समस्त अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी थी ।

लिखित परीक्षा में असफल अभ्यर्थियों/याचीगण द्वारा विभिन्न न्यायालय में रिट याचिकायें योजित की गयी । इन याचिकाओं के माननीय न्यायालया में विचाराधीन होने के कारण तत्समय अभ्यर्थियों के अंकों का प्रकाशन नहीं किया गया था परन्तु कतिपय अभ्यर्थियों को उनके अंकों की सूचना प्रकाशित न होने के कारण लगातार मा0 न्यायालयों में याचिकायें योजित की जा रही है । इसके दृष्टिगत बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों के अंकों को दिनांक:17-05-2019 से 15-06-2019 तक बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया था। अभ्यर्थीगण को वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपने अंक ज्ञात करने की सुविधा प्रदान की जा चुकी है । इस सम्बन्ध में बोर्ड के समसंख्यक विज्ञप्ति दिनांक:17-05-2018 को बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित की गयी थी ।

इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के उपरान्त भी अभ्यर्थियों द्वारा अधिक संख्या में अपने अंकों की जानकारी लिखित में प्रदान किये जाने हेतु बोर्ड को प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जा रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है क्यों कि असफल अभ्यर्थियों के अंक /परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर पूर्व में ही उपलब्ध कराया जा चुका है । प्रत्यावेदनों के दृष्टिगत अब असफल अभ्यर्थियों के द्वारा दिनांक: 15-06-2019 के स्थान पर दिनांक: 30-6-2019 तक अंक ज्ञात किये जाने हेतु अतिरिक्त अवसर पुनः प्रदान किया जा रहा है । अभ्यर्थीगण अपने अंको का विवरण वेबसाइट उपलब्ध लिंक से ज्ञात कर सकते हैं । इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को अब कोई अलग से अंक प्रदान करने का अवसर जनसूचना अधिकार के अन्तर्गत अथवा अन्य किसी माध्यम से माँगे जाने पर बोर्ड द्वारा विचार नहीं किया जायेगा ।


अनु सचिव (प्रोन्नति)
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।